न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज़ गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 288 / 2021
अनवान : –

1. रामी पुत्री प्रताप पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी श्योराणी हाल दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. प्रताप पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. खुशीया पुत्री कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. रोहित पुत्र कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
5. रोशनी कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
6. महावीर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
7. मोहरसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 25/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 121 की 45 बीघा 9 बिस्वा भूमि यानि 11.4957 हैक्ट भूमि प्रार्थी के दादा जीराम वल्द किस्तुराराम की पैदा कर्ता भूमि थी। रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 103 / 111 के ख0न0 363 की 7.5770 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट भूमि कुल 11.4980 हैक्ट भूमि जो प्रार्थी के दादा की मृत्यु के बाद इनके तीन पुत्र व तीन पुत्रीयों व पत्नी पर औद हुई एवं तीनों पुत्रीयों ने अपना हक हिस्सा अपनी माता व भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया था इसलिए रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता सं0 103 / 111 की कुल 11.4980 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादीगण स0 1 का 1 / 4 हिस्सा भूमि संयुक्त रूप से [illegible] है।

वादीया की दादी तखी [illegible] जमाबंदी में मृतक तखी का 1 / 4 हिस्सा में से 1 / 3 हिस्सा वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादीगण संख्या 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:35:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज करा पाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का उक्त वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा है। तखी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः वादी वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता स0 103/111 के ख0न0 363 की 5.5770 हैक्ट भूमि व ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में तखी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1/9 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/9 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में तखी के नाम दर्ज है जो की वादीया की दादी है। तखी का देहान्त हो चुका है। तखी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो क अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया [illegible] डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:35:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खाता स0 103/111 के ख0न0 363 की 7.5770 हैक्ट भूमि व ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट कुल 11.4980 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तखी पत्नी श्रीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि तखी पत्नी श्रीराम का देहान्त हो चुका है। तखी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्साा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता स0 103/111 के ख0न0 363 की 7.5770 हैक्ट भूमि व ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में तखी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1/9 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/9 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब 1/9 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:35:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 288 / 2021
अनवान : –

1. रामी पुत्री प्रताप पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी श्योराणी हाल दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. प्रताप पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. खुशीया पुत्री कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. रोहित पुत्र कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
5. रोशनी कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
6. महावीर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
7. मोहरसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 288 सन 2021 निर्णय दिनांक 25/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता स0 103 / 111 के ख0न0 363 की 7.5770 हैक्ट भूमि व ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में तखी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1 / 9 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1 / 9 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब 1 / 9 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक को 1 / 3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:35:03 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर